रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940
No. 386] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2018

सं. एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू.—दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद को निम्नलिखित रूप में अधिसूचित किया जाता है:

(क) पैराग्राफ 2 के तहत गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद में मौजूदा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी सम्मिलित होंगे।

(ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद को अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनकी निगरानी करने के लिए विकास गुणवत्तात्मक सुधार और व्यावसायिक शिक्षा का विनियमन करने तथा इस संकल्प में उल्लिखित अन्य आकस्मिक कार्यों को करने का कार्य सौंपा गया है।

अध्याय I

प्रारंभिक

1. परिभाषाएं:- इस संकल्प के परियोजन के लिए जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "प्रत्यायन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई अवार्डिंग निकाय प्रशिक्षण निकाय को मान्यता प्रदान करता है।

(ii) "संबद्धता" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई अवार्डिंग निकाय किसी प्रशिक्षण निकाय को अपने द्वारा प्रमाणित किसी विशिष्ट कार्यक्रम को चलाने की अनुमति प्रदान करता है।

(iii) "समझौता" से ऐसा समझौता अभिप्रेत है, जो परिषद और अवार्डिंग निकाय, आकलन एजेंसियों अथवा कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं के बीच किया गया हो और जिसके अनुसरण में उन्हें इस संकल्प के पैराग्राफ 20 में यथा उल्लिखित मान्यता प्रदान की गई हो।

(iv) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस संकल्प के पैराग्राफ 25 के तहत परिषद के साथ मान्यता के लिए आवेदन करता है।

(v) "आकलनकर्ता एजेंसी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो जांच अथवा परीक्षा आयोजित करके किसी प्रशिक्षार्थी का आकलन करता है कि क्या वह कौशल अथवा अर्हता संबंधी योग्य ठहराए जाने हेतु प्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करता है।

(vi) "अवार्डिंग निकाय" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कौशल अथवा अर्हता के संबंध में प्रमाण पत्र देता है अथवा प्रमाण पत्र देने का प्रस्ताव करता है।

(vii) "परिषद" से राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद अभिप्रेत है, जिसका गठन इस संकल्प के पैराग्राफ 2 के तहत गठित किया गया हो और शिक्षुता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के खंड 2 उपखंड (l) में यथा परिभाषित राष्ट्रीय परिषद के सभी संदर्भों के रूप में माना गया हो।

(viii) "अध्यक्ष" से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ix) "कार्यपालक सदस्य" से परिषद का कार्यपालक सदस्य अभिप्रेत है;

(x) "निरीक्षण" से समझौते के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त निकाय अथवा प्रशिक्षण निकाय अथवा किसी कौशल विश्वविद्यालय की परीक्षा अभिप्रेत है, जिसके अनुसरण में मान्यता प्रदान की गई है अथवा की जा सकती है और इसमें किसी कार्यालय अथवा परिसर (प्रशिक्षण निकायों सहित) अथवा इस प्रयोजनार्थ डाटाबेस के प्रलेखों, नमूनों, रिकार्डों सहित किसी सूचना का संग्रह भी शामिल है।

(xi) "सदस्य" से परिषद के कार्यपालक सदस्य, गैर कार्यपालक सदस्य, नामित सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष शामिल हैं;

(xii) "गैर कार्यपालक सदस्य" से परिषद का गैर कार्यपालक सदस्य अभिप्रेत है;

(xiii) "अधिसूचना" से सरकारी राज्य पत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और इसमें तदनुसार "अधिसूचित" अभिव्यक्ति शामिल हैं;

(xiv) "व्यक्ति" में निम्नलिखित समाहित हैं:

(क) कोई व्यक्ति

(ख) हिंदू अविभाजित परिवार

(ग) कोई कंपनी

(घ) कोई न्यास

(ङ) कोई भागीदारी फर्म

(च) कोई सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी

(छ) कोई पंजीकृत सोसायटी

(ज) व्यक्तियों का कोई संघ अथवा व्यक्तियों का कोई निकाय, चाहे वह उसमें शामिल है अथवा नहीं

(झ) अनुच्छेद (क) से (ज) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित अथवा उसके स्वामित्त्व की कोई एजेंसी, शाखा अथवा कार्यालय

(xv) "अर्हता" अथवा "कौशल" से वह अर्हता और कौशल अभिप्रेत है, जिसके संबंध में परिषद ने अर्हता पैकेज अनुमोदित किया हो;

(xvi) "मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो पैराग्राफ 25 के उप पैराग्राफ (6) के अनुसार परिषद की मान्यता प्रदान करने के लिए एक पक्ष हो और जिसे मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय द्वारा किसी प्रशिक्षार्थी की योग्यता के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रमाणित करने हेतु आकलन करने के लिए जांच अथवा परीक्षण लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई हो;

(xvii) "मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने पैराग्राफ 25 के उप पैराग्राफ (6) के अनुसार परिषद की मान्यता प्रदान करने के लिए समझौता किया हो और जिसे प्रत्यायन करने वाले प्रशिक्षण निकायों द्वारा अर्हता अथवा कौशल के लिए प्रमाणन प्रदान करने और उनकी संहिता को विनियमित करने की अनुमति प्रदान की गई हो;

(xviii) "मान्यता प्राप्त कौशल संबंधी सूचना प्रदाता" से कौशल संबंधी सूचना प्रदाता अभिप्रेत है, जो मान्यता प्राप्त निकायों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण निकायों और उनके उपभोक्ताओं, उनके कार्य निष्पादन और गुणवत्ता को मान्यता के लिए किए गए समझौते के अनुसार सार्वजनिक रूप से सुगम्य इलैक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर मान्यता देने के लिए सहमत हो;

(xix) "मान्यता प्राप्त निकाय" में मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय, मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी अथवा मान्यता प्राप्त कौशल संबंधी सूचना प्रदाता, जैसा भी मामला हो, शामिल हैं;

(xx) "प्रशिक्षार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी मान्यता प्राप्त निकाय से प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी प्रत्यायित प्रशिक्षण निकाय में नामांकित हो;

(xxi) "प्रशिक्षण निकाय" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अर्हता और कौशलों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में किसी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्यायित हो;

(xxii) "पूर्व शिक्षण मान्यता" से पूर्व शिक्षण अनुभव अथवा कौशलों वाले व्यक्ति का आकलन और प्रमाणन करना अभिप्रेत है;

(xxiii) "कौशल विश्वविद्यालय" से ऐसा विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अभिप्रेत है, जो केंद्र, राज्य अथवा प्रांतीय स्थिति के अंतर्गत स्थापित अथवा शामिल हो और उन्नत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने या विकसित करने के लिए तथा कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण में अनुसंधान तथा विकास करने के लिए परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(xxiv) "व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण" से परिषद द्वारा प्रमाणित अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के शिक्षुता प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता जैसे सभी कौशल विकास कार्यक्रम अभिप्रेत हैं लेकिन वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3), अथवा तत समय लागू अन्य किसी विधि के अंतर्गत न आते हों;

अध्याय ।।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना

2. परिषद का गठन- (1) इस संकल्प के परियोजन के लिए एक परिषद की स्थापना की जाए, जिसे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद कहा जाएगा।

(2) इस परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 10 सदस्य होंगे, जो इस प्रकार हैं, नामत:-

(क) केंद्र सरकार द्वार नियुक्त एक अध्यक्ष;

(ख) दो या दो से अधिक व्यक्ति- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक सदस्य;

(ग) दो या दो से अधिक व्यक्ति- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त गैर-कार्यपालक सदस्य;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति;

(3) कार्यपालक सदस्यों की संख्या परिषद की संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी ।

(4) परिषद का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

3. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं- (1) परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति ऐसी क्षमता, अखंडता और स्थायित्व वाले व्यक्तियों में से की जाएगी, जिन्हें व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, लोक प्रशासन अथवा संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव और विशेष ज्ञान हो:

बशर्ते कि वह व्यक्ति सरकारी सेवा में हो या सेवा में रहा हो उसे

(क) अध्यक्ष के रूप में तब तक नामित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भारत सरकार के सचिव/अपर सचिव के पद पर हो या केंद सरकार अथवा राज्य सरकार में समकक्ष पद पर हो; या

(ख) कार्यपालक सदस्य के रूप में नामित नहीं किया जाएगा यदि वह व्यक्ति भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर हो या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर हो या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में समकक्ष पद पर हो;

(2) ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त करने अथवा नामित करने के लिए आयोग्य माना जाएगा यदि वह-

(क) किसी अवार्डिंग निकाय, आकलन एजेंसी, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्यपालक, निदेशक अथवा कर्मचारी हो या परिषद द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विनियमित कोई अन्य व्यक्ति हो;

(ख) जो योग्य अथवा उचित व्यक्ति न हो;

(ग) किसी न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या किसी सांविधिक न्यायाधिकरण का कार्यरत सदस्य हो;

(घ) जो भारत के संविधान के भाग viii के अंतर्गत संसद, विधान परिषद, विधानसभा का सदस्य हो, पंचायत या किसी नगरपालिका का सदस्य हो;

(ङ) जो परिषद के सदस्य के रूप में 10 वर्षों की सेवा कर चुका हो;

(च) परिषद के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर चुका हो; या

(छ) जो 62 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो;

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ के परियोजन के लिए "योग्य और उचित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो-

(i) वित्तीय रूप से निष्ठावान हो;

(ii) प्रतिष्ठावान और चरित्रवान हो और

(iii) नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सजायाफ्ता न हो।

4. नियुक्ति का तरीका- (1) केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य के अलावा परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश सरकार द्वारा की जाएगी। चयन समिति में निम्नलिखित होंगे-

(क) मंत्रिमंडल सचिव- अध्यक्ष

(ख) सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय- सदस्य

(ग) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग- सदस्य

(घ) दो स्वतंत्र विशेषज्ञ- सदस्य

(2) उप पैराग्राफ (1) में संदर्भित स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा लोक प्रशासन, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, मानव संसाधन प्रबंधन, अर्थशास्त्र या व्यापार प्रबंधन क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से की जाएगी।

(3) चयन समिति नामित सदस्य के अलावा अध्यक्ष और परिषद के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से केंद सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु प्रत्येक रिक्ति के लिए दो से तीन व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।

(4) केंद्र सरकार चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में से परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

(5) चयन समिति अपनी सिफारिश देने के लिए अपनी कार्यविधि निर्धारित करेगी।

5. सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य- (1) नामित सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे।

(2) सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(3) सदस्यों की नियुक्ति निर्धारित करते समय केंद्र सरकार निम्नलिखित अपेक्षाओं पर विचार करेगी-

(क) परिषद की स्वतंत्रता; और

(ख) परिषद की अपेक्षित प्रतिभा और विशेषज्ञता

(4) सदस्य की नियुक्ति की शर्तें नियुक्ति के पश्चात उन्हें अलाभकारी होने से अलग नहीं रखेंगी।

6. कार्यपालक सदस्य- (1) कार्यपालक सदस्य परिषद का पूर्णकालिक सदस्य होगा।

(2) परिषद किसी कार्यपालक सदस्य को ऐसा अवैतनिक कार्य करने की लिखित अनुमति दे सकती है, जिससे कार्यपालक सदस्य के रूप में उसके कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना न हो।

7. त्याग पत्र- (1) कोई सदस्य केंद्र सरकार को अपने हस्ताक्षर से युक्त लिखित सूचना देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है:

बशर्ते कि उस सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा उसे अपना पदभार शीघ्र त्यागने, सूचना प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के समाप्त होने तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति होने तक, पद पर बने रहने, जो भी पहले हों की अनुमति न दे दें।

(2) यदि केंद्र सरकार उप पैराग्राफ (1) में उल्लिखित 3 माह की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति की नियुक्ति करती है तो परिषद पद छोड़ने वाले सदस्य को 3 माह की शेष अवधि के वेतन का भुगतान करेगी।

8. सदस्यों को पद से हटाना- (1) केंद्र सरकार लिखित शिकायत प्राप्त होने पर किसी सदस्य को अपने पद से आदेश द्वारा हटा सकती है, यदि सदस्य को-

(i) दिवालिया होने का पता चला हो;

(ii) ऐसे अपराध के लिए सजा मिली हो, जो केंद्र सरकार की दृष्टि में चरित्र हनन का मामला बनता हो;

(iii) सेवा शर्तों के उल्लंघन स्वरूप नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी रोजगार में हो;

(iv) वित्तीय या अन्य ऐसे हित अर्जित किए हों, जिनसे सदस्य का कार्यकरण प्रभावित होने की संभावना हो;

(v) किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष धन-संबंधी हित को पर्याप्त रूप से उद्घाटित करने में विफल रहा हो;

(vi) चयन समिति को गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए हों;

(vii) परिषद के उद्देश्यों को प्रभावित करने में पद का दुरुपयोग किया हो;

(viii) कार्यों को करने में शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(ix) मानसिक रूप से अस्वस्थ्य घोषित किया गया हो;

जबकि यदि किसी सदस्य को ऊपर वर्णित किसी आधार पर हटाने का प्रस्ताव किया गया हो, तो उस सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई किए जाने का अवसर दिया जाएगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के तहत शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार शिकायत की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन करेगी।

9. आकस्मिक रिक्तियां- केंद्र सरकार परिषद की किसी रिक्ति को भरेगी-

(क) यदि आकस्मिक रिक्ति से परिषद की जनशक्ति न्यूनतम जनशक्ति से कम हो जाए, तो रिक्ति होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, और

(ख) अन्य सभी मामलों में रिक्ति होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर।

10. परिषदों की बैठकें- (1) परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होंगी तथा अपनी बैठकों (बैठकों में गणपूर्ति सहित) में कार्य संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियमों को अपनाएगी, जो इसके द्वारा बनाए गए उपविधियों में दिए गए हैं।

(2) अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक सदस्य किसी कारण वश बैठक में भाग लेने में असमर्थ है और दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(3) परिषद की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतों की अधिकता द्वारा लिया जाएगा और मत समान होने पर अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(4) परिषद प्रत्येक बैठक के सभी अभिलेखों का रख-रखाव और प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी परिषद के किसी अधिकारी को पद नामित करेगी।

(5) परिषद द्वारा अभिलेखों का प्रकाशन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए के अनुसार किया जाएगा।

(6) परिषद अपनी उपविधियों में अभिलेखों की ऐसी श्रेणियां निर्धारित करेगी, जिन्हें देरी होने के पश्चात प्रकाशित किया जा सकता हो और इन उपविधियों में वह समय सीमा दी गई होगी जिसमें ऐसे अभिलेखों को प्रकाशित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ में "अभिलेख" से बैठक की कार्य सूची, प्रस्ताव और लिए गए निर्णय अभिप्रेत हैं और इसमें प्रत्येक सदस्य का मत शामिल है।

11. सदस्यों का आचरण- (1) यदि किसी सदस्य का किसी मामले में कोई ऐसा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हित है, जिस पर परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किए जाने की संभावना हो तो जहां तक संभव हो वह सदस्य अपने संज्ञान में संबंधित परिस्थिति आने के पश्चात परिषद को अपने हित की प्रकृति का खुलासा करेगा।

(2) ऐसे सदस्य द्वारा व्यक्त की गई किसी बात को परिषद की उस बैठक की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा, जिस बैठक में इस मामलें पर विचार-विमर्श किया गया है और उस सदस्य को उस मामलों के संबंध में परिषद के निर्णय अथवा किसी विचार-विमर्श से अलग रखा जाएगा।

12. अप्रभावित कार्यवाही की वैधता- परिषद की कोई कार्यवाही या कार्य केवल निम्नलिखित कारणों से अवैध नहीं होगा-

(1) परिषद के गठन में कोई रिक्ति या कमी;

(2) किसी व्यक्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति में कोई कमी; या

(3) परिषद की उपविधियों का कोई उल्लंघन जिससे निर्णय के गुणदोष पर प्रभाव न पड़ता हो।

13. परिषद द्वारा प्रत्यायोजन- (1) परिषद अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या परिषद के किसी कर्मचारी को कार्यों का प्रत्यायोजन करने के लिए किसी ऐसी शर्त के अधीन उपविधियां बनाने की शक्ति होगी, जिसका उपविधियों में प्रावधान हो।

(2) जब तक कि संकल्प में अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष होगा जिसे परिषद के सभी प्रशासनिक मामलो के संबंध में सामान्य निर्देश देने और नियंत्रण रखने की शक्तियां होंगी।

14. परिषद के कर्मचारी- (1) परिषद ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो इसके कार्यकरण के प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक हों।

(2) परिषद को नियुक्ति की चयन प्रक्रिया, शर्तों, क्षतिपूर्ति और निबंधनों तथा इस खंड के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों के सेवा संबंधी नियम बनाने की शक्ति होगी।

15. व्यवसाय जिनका परिषद संचालन नहीं कर सकता- (1) इस संकल्प अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत इसके उद्देश्यों के अनुसरण के अलावा, परिषद निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी:-

(क) किसी बैंक या किसी अन्य व्यक्ति की किसी हिस्सेदारी सहित किसी पूंजी का क्रय अथवा ऐसी पूंजी या हिस्सेदारी पर ऋण देना अथवा

(ख) अचल संपत्ति या ऐसी अचल संपत्ति से संबंधित विलेख दस्तावेजों को रहन रखने या अन्यथा द्विपक्षीय समझौते पर अग्रिम राशि देना या अचल संपत्ति का स्वामी बनना।

(2) उप पैराग्राफ (1) के खंड (ख) के प्रावधान परिषद को इसके कारोबार या इसके उपयोग के लिए आवासी परिषरों हेतु आवश्यक संपत्ति अधिग्रहण करने या स्वामित्व से वंचित नहीं करेंगे।

अध्याय- III

परिषद के कार्य और शक्तियां

16. परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्य- (1) परिषद:-

(क) अवार्डिंग निकायों को मान्यता देगी, निगरानी करेगी और मान्यता समाप्त करेगी;

(ख) आकलन एजेंसियों को मान्यता देगी, निगरानी करेगी और मान्यता समाप्त करेगी;

(ग) कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं को मान्यता देगी, निगरानी करेगी और मान्यता समाप्त करेगी;

(घ) कौशल विश्वविद्यालयों को उन्नत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए तथा कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण में अनुसंधान और विकास करने के लिए एक अलग निकाय की श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान करेगी;

(ङ) मान्यता प्राप्त निकायों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रणाली विकसित करेगी और उसकी निगरानी करेगी;

(च) अर्हता पैकेजों के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी और अर्हता पैकेजों को उन दिशा-निर्देशों में दिए गए तरीके से अनुमोदित करेगी;

(छ) प्रशिक्षण निकायों, ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं और आकलन एजेंसियों और ऐसी स्थितियों के उल्लंघन के लिए परिणामों के संबंध में अवार्डिंग निकायों की भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित उनकी मान्यता और कार्यकरण की शर्तों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी;

(ज) अवार्डिंग निकायों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और प्रमाणन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करेगी;

(झ) प्रशिक्षण निकायों, ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं और अवार्डिंग निकायों और ऐसी स्थितियों के उल्लंघन के लिए परिणामों के संबंध में आकलन एजेंसियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित उनकी मान्यता और कार्यकरण की शर्तों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी;

(ञ) प्रशिक्षण निकायों, ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं और अवार्डिंग निकायों और ऐसी स्थितियों के उल्लंघन के लिए परिणामों के संबंध में कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित उनकी मान्यता और कार्यकरण की शर्तों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी;

(ट) कौशल विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए प्रारंभिक न्यूनतम मानक या मानदंड निर्धारित करने के लिए सरकार के परामर्श से बोर्ड के दिशा-निर्देश तैयार करेगी;

(ठ) मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं पर लगाए गए शुल्क और प्रभारों के तरीके के लिए, यदि आवश्यक हो तो दिशा-निर्देश तैयार करेगी, जिन्हें मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा वसूल किए गए शुल्क और प्रभारों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित और निर्धारित किया जाना चाहिए;

(ड) मान्यता की शर्तों को लागू करने के लिए अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों तथा कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं के साथ समझौते करेगी और परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उनका कार्यकरण सुनिश्चित करेगी;

(ढ) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अनुसरण में अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों, प्रशिक्षण निकायों के संबंध में सूचना और उनकी गतिविधियों का प्रसार करेगी;

(ण) मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा प्रशिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगी और मान्यता प्रदान करने वाले समझौतों के अनुसार जानकारी देने के उचित तरीके तैयार करेगी;

(त) मान्यता प्राप्त निकायों की वाणिज्यक संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश और उपविधियां तैयार करेगी;

(थ) मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों और प्रशिक्षण निकायों को परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में निर्धारित तरीके से परिषद का लोगो और नाम का उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करेगी;

(द) परिषद की भूमिका और गतिविधियों और उसके नाम तथा लोगो का उपयोग करने से संबंधित जानकारी का प्रसार करेगी;

(ध) मान्यता प्राप्त निकायों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगी और उनके कार्यकलापों की नियमित लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसे व्यक्ति परिषद द्वारा लागू की गई मान्यता की शर्तों और सामान्य कार्यकरण का अनुपालन किया जा रहा है; और

(न) ऐसे सभी उपाय करेगी, जो इस संकल्प द्वारा सौंपे गए या आरोपित किसी कार्य को करने की शक्तियों का उपयोग करते हुए आवश्यक या सुविधाजनक हो।

(2) परिषद मान्यता प्राप्त निकायों के साथ किए जाने वाले समझौतो में अवार्डिंग निकायों की मान्यता की शर्तों के रूप में प्रशिक्षण निकायों के लिए अधिकार और बाध्यताओं की शर्त रख सकती है।

(3) परिषद किसी कौशल विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उसे इस संकल्प के प्रावधानों की शर्त पर मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय, प्रशिक्षण निकाय और/या किसी मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी के रूप में समान कार्य करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।

17. हितों के टकराव को विनियमित करने की शक्तियां- (1) परिषद हितों के टकराव के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) ऐसे टकराव जिनसे बचना चाहिए और वह तरीका जिससे मान्यता प्राप्त निकायों को ऐसे टकराव से बचना चाहिए;

(ख) ऐसे टकराव जिनका समाधान किया जाना है और वह तरीका जिससे मान्यता प्राप्त निकाय ऐसे टकरावों से बच सकें; और

(ग) ऐसे टकरावों से कैसे बचा जा सकता है या उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, के संबंध में जानकारी सहित परिषद को हितों के टकराव की सूचना देने के लिए मान्यता प्राप्त निकायों की बाध्यताएं।

(2) प्रशिक्षण निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी या मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय की किसी गतिविधि के कारण उत्पन्न हुए या मौजूदा हितों के टकराव को रोकने या उनका समाधान करने के लिए परिषद दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

18. अवार्डिंग और आकलन कार्यों के लिए दोहरी मान्यता प्रदान करने की शक्ति- (1) आकलन करने के लिए किसी भी अवार्डिंग निकाय को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी और किसी आकलन निकाय को अल्पकालिक प्रशिक्षण के संबंध में अवार्डिंग निकाय के रूप में तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उप पैराग्राफ के (2) में उल्लिखित अपेक्षाएं पूरी न कर ली जाएं।

(2) इस पैराग्राफ के अंतर्गत अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए दोहरी मान्यता हेतु दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित अपेक्षित होंगे:-

(क) दो मान्यता प्राप्त निकायों के कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों के कारण उत्पन्न हुए संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए मान्यता के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं;

(ख) अर्हताओं के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने के कार्यों और अर्हताओं या कौशलों के आकलन के लिए कार्मिक, प्रणाली और प्रबंधकीय नियंत्रण अलग-अलग होना;

(ग) मान्यता की शर्त के रूप में ऐसी वित्तीय अपेक्षाएं आरोपित करना जिन्हें उपयुक्त समझा जाए;

(घ) सत्यनिष्ठा का सुस्थापित पूर्व रिकॉर्ड और अभूतपूर्व बाजार साख।

(3) उप पैराग्राफ (1) के अंतर्गत प्रदान की गई किसी प्रकार की मान्यता अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी, जिसके पश्चात् उस निकाय को नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अपनी पात्रता दर्शानी होगी।

(4) दीर्घावधि प्रशिक्षण के लिए परिषद उस व्यक्ति को दो मान्यता प्राप्त निकायों के कार्यों को करने के लिए मान्यता प्रदान कर सकता है, अर्थात:-

(क) अर्हताओं या कौशलों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करना; और

(ख) अर्हताओं या कौशलों का आकलन

(5) इस पैराग्राफ के अंतर्गत दीर्घावधि प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देशों के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होंगे-

(क) दो मान्यता प्राप्त निकायों के कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए मान्यता के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं; और

(ख) सत्यनिष्ठा का सुस्थापित पिछला रिकॉर्ड और आपवादिक बाजार साख।

स्पष्टीकरण- संदेहों को दूर करने के लिए "दीर्घावधि कौशलीकरण" से एक वर्ष और उससे अधिक समय के लिए चलाया गया कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण अभिप्रेत है।

19. दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए परिषद की शक्तियां- (1) पैराग्राफ 16 के तहत सौंपे गए कार्यों का निस्तारण करने के लिए परिषद को दिशा-निर्देश तैयार करने की शक्तियां होंगी।

(2) परिषद भूतलक्षी प्रकृति के दिशा-निर्देशों को तैयार नहीं करेगी।

(3) परिषद दिशा-निर्देश तैयार करने से पहले निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:-

(क) दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

(ख) दिशा-निर्देशों का प्रारूप पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करा दिया गया है और जनता को अपनी टिप्पणियां देने के लिए न्यूनतम 21 दिनों का समय दिया गया है। इसके साथ-साथ इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य क्या है और उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस दिशा-निर्देश का संक्षिप्त तंत्र क्या होगा तथा दिशा-निर्देश के प्रारूप में प्रस्तावित अपेक्षाओं की लागत और लाभ क्या हैं, भी दर्शाये गए हैं;

(ग) 21 दिनों की अवधि के दौरान दिशा-निर्देश के प्रारूप पर प्राप्त हुई टिप्पणियों और उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् सामान्य प्रतिक्रिया तैयार की जाएगी; और

(घ) प्राप्त हुई टिप्पणियों पर दिशा-निर्देशों के प्रारूप, परिषद के कर्मचारियों की कोई प्रतिक्रिया हो और दिशा-निर्देशों के प्रारूप में प्रस्तावित यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसके संबंध में विचार किया जाएगा;

(4) परिषद परिवर्तनों या परिवर्तनों के बिना उचित विचार किए जाने के पश्चात् दिशा-निर्देशों के प्रारूप को अनुमोदित कर सकती हैं अथवा दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकती है।

(5) परिषद अपने द्वारा अनुमोदित किए गए सभी दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करेगी।

(6) परिषद उप पैराग्राफ (3) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त के संबंध में केंद्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् अवार्डिंग निकाय, आकलन एजेंसी और कौशल संबंधी जानकारी प्रदाताओं की मान्यता के लिए उसके द्वारा वसूल की जाने वाली फीस के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

20. मान्यता प्राप्त निकायों के साथ समझौते करने के लिए परिषद की शक्तियां- (1) परिषद इसके द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में निर्धारित तरीके से अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों और कौशल संबंधी जानकारी प्रदाताओं, को उनके साथ समझौते करके मान्यता प्रदान कर सकती है।

(2) परिषद उस समझौते में एक से अधिक अर्हता या कौशल के संबंध में अवार्डिंग निकाय या आकलन एजेंसी को मान्यता प्रदान कर सकती है।

(3) एक बार समझौता होने के पश्चात् उस समझौते में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा इस पैराग्राफ के तहत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के अलावा कोई अन्य परिवर्तन नहीं करेगा।

(4) परिषद सभी समझौतों को समझौते होने के तत्काल बाद प्रकाशित करेगी।

21. परिषद के नाम और लोगो के दुरुपयोग के लिए विधिक कार्यवाही करने के लिए परिषद की शक्तियां- (1) परिषद किसी भी व्यक्ति को समझौता किए बिना, जिसके अनुसरण में उस व्यक्ति को मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता प्राप्त निकाय के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगी।

(2) यदि परिषद यह पाती है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति गलत तरीके से स्वयं को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो परिषद तत्काल ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित के लिए विधिक कार्यवाही कर सकती है।

(क) ऐसे गलत प्रतिनिधित्व के कारण परिषद, मान्यता प्राप्त निकायों या सेवाओं के उपभोक्ताओं को यदि कोई हानि हुई है तो मौद्रिक क्षतिपूर्ति; और

(ख) परिषद के नाम और लोगो का दुरुपयोग रोकने या निवारण करने या नकली प्रतिनिधित्व की रोकथाम करने के लिए कोई अन्य उपलब्ध उपचारात्मक उपाय।

22. शिकायत निवारण की शक्ति- (1) पैराग्राफ 16 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (ड.) में संदर्भित शिकायतों का निवारण करने के इसके कार्यों का निर्वाह करने में परिषद के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा:-

(क) मौद्रिक क्षतिपूर्ति के भुगतान सहित अपने विभिन्न प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए मान्यता प्राप्त निकाय; और

(ख) मान्यता प्राप्त निकायों या प्रशिक्षण निकायों के आचरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों के लिए प्रभावित व्यक्तियों को राहत।

(2) परिषद शिकायत निवारण के लिए मान्यता प्राप्त निकायों की बाध्यता का उल्लेख करते हुए शिकायत निवारण की प्रणाली के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

23. समझौते का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति- (1) परिषद उस समझौते जिसके अनुसरण में मान्यता प्रदान की गई है, का उल्लंघन करने पर निदेश जारी कर सकती है और यथोचित कार्रवाई कर सकती है।

(2) परिषद उप पैराग्राफ (1) में संदर्भित उन परिस्थितियों के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगी जिनमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, की जाने वाली कार्रवाई, समझौते के उल्लंघन के लिए केंद्र सरकार के परामर्श से अर्थदंड की अधिकतम सीमा के संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

(3) पैराग्राफ 25 के उप पैराग्राफ (6) में संदर्भित मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में इस पैराग्राफ के तहत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों संबंधी अनुपालन अपेक्षित होगा।

(4) पैराग्राफ 28 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा सभी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

(5) पैराग्राफ 21 के उप पैराग्राफ (2) के खंड (क) के तहत वसूल की गई किसी आर्थिक क्षतिपूर्ति सहित वसूल किए गए सभी अर्थदंडों को जहां तक व्यावहारिय हो यथा शीघ्र भारत की समेकित निधि में जमा कराया जाएगा।

(6) परिषद पैराग्राफ 24 में संदर्भित कोई कार्रवाई भी कर सकती है।

24. मान्यता प्रदान करने वाले समझौते को भंग करने के लिए कार्रवाई- परिषद मान्यता प्रदान करने वाले समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने पर मान्यता प्राप्त निकायों के विरुद्ध निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई कर सकती है, नामत:-

(1) निजी चेतावनी;

(2) सार्वजनिक चेतावनी;

(3) कतिपय गतिविधियों को समाप्त करने और रोकने के लिए निर्देश;

(4) प्रशिक्षार्थियों या सेवाओं के उपभोक्ता के लिए विशिष्ट निष्पादन हेतु अपेक्षित मौद्रिक क्षतिपूर्ति या निर्देश;

(5) अर्थदंड आरोपित करना; और

(6) मान्यता प्राप्त निकाय की मान्यता समाप्त करना जिससे वह समझौता समाप्त हो जाता है जिसके अनुसरण में मान्यता प्रदान की गई थी।

स्पष्टीकरण- संदेहों को दूर करने के लिए-

(i) "निजी चेतावनी" का अर्थ है परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय को जारी की गई सूचना, जिसके अंतर्गत अनुपालन न करने अथवा भंग करने की स्थिति से उत्पन्न किसी परिस्थिति से संबंधित सूचना सहित निकाय को अनुपालन न करने के बारे में या मान्यता की किसी शर्त को भंग करने के बारे में केवल उस मान्यता प्राप्त निकाय को सूचित किया गया हो, प्रकाशित न किया गया हो और परिषद द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सूचित न किया गया हो।

(ii) "सार्वजनिक चेतावनी" का अर्थ है मान्यता प्राप्त निकाय को जारी की गई सूचना, जिसके अंतर्गत निकाय को अनुपालन न करने या मान्यता की किसी शर्त को भंग करने के बारे में सूचित किया गया हो, जिसमें ऐसे अनुपालन न करने या भंग करने के कारण उत्पन्न किसी परिस्थिति से संबंधित सूचना शामिल है और जिसे दिशा-निर्देशों अथवा उपविधियों के अनुसार परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया हो।

25. मान्यता और अन्य अनुमोदन प्रदान करना – (1) परिषद किसी आवेदक को मान्यता प्रदान करेगी यदि-

(क) ऐसा व्यक्ति मान्यता प्राप्त निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है;

(ख) आवेदक उप-पैराग्राफ (2) के अंतर्गत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है; और

(ग) आवेदक उप-पैराग्राफ (2) के अंतर्गत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में उल्लिखित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(2) उप-पैरा (1) में वर्णित दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान होंगे-

(क) मान्यता प्राप्त निकायों के साथ किए जाने वाले समझौतों का प्रपत्र;

(ख) आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और पावती;

(ग) पात्रता की अपेक्षाएं;

(घ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना;

(ङ) आवेदन पत्रों को अनुमोदित अथवा अस्वीकृत करने के निर्णय के औचित्य दर्शाने वाली सूचना; और

(च) उन आवेदको के अधिकार जिनके आवेदन अस्वीकार किए गए हैं।

(3) परिषद को कोई आवश्यक सूचना मांगने और मान्यता की शर्तों के संबंध में आवेदक की पात्रता निर्धारित करने के परियोजन से निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) यदि परिषद किसी आवेदक को मान्यता प्रदान करती है तो वह आवेदक के साथ इससे संबंधित एक समझौता करेगी।

(5) मान्यता-

(क) परिषद द्वारा निर्धारित की गई तारीख से प्रभावी होगी; और

(ख) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अनुसरण में मान्यता प्राप्त निकाय और सभी दिशा-निर्देशों, जो समझौते का भाग है, के अध्यधीन है।

(6) मान्यता प्रदान करने वाले सभी समझौतो में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-

(क) मान्यता प्रदान किए जा रहे व्यक्ति का नाम;

(ख) परिषद द्वारा प्रदान की जा रही मान्यता की अवधि;

(ग) मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई पात्रता संबंधी जानकारी और अभ्यावेदन;

(घ) अर्हता जिसके संबंध में मान्यता प्राप्त निकाय को परिषद का नाम और लोगो प्रयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ङ) संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के रख-रखाव और उन्हें लागू करने के संबंध में मान्यता प्राप्त निकायों की निरंतर जिम्मेदारियां।

(च) संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार किसी प्रत्यायित संस्थान या एजेंट का आवधिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त निकाय की सतत जिम्मेदारियां।

(छ) संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार मान्यता प्राप्त निकाय के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए मान्यता प्राप्त निकाय की सतत जिम्मेदारियां।

(ज) संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित किए गए के अनुसार परिषद जिन प्रक्रियाओं द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय के साथ सूचना का आदान प्रदान करेगी उनमें दैनिक पत्राचार, जानकारी के लिए अनुरोध, समझौते के उल्लंघन की सूचना, निदेश जारी करना और अर्थदंड लगाना शामिल है।

(7) मान्यता प्रदान करने वाले समझौतो में निर्धारित सभी अपेक्षाएं इस संकल्प और इसके अंतर्गत बनाए गए दिशा-निर्देशों की शर्त पर होंगे।

(8) परिषद किसी अन्य अनुमोदन को प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करेगा जो इस संकल्प के अंतर्गत उसके कार्यों का निस्तारण करने के लिए अपेक्षित होंगे।

26. मान्यता वापस करने की प्रक्रिया – (1) मान्यता प्राप्त निकाय परिषद को यह नोटिस दे सकते हैं कि वह मान्यता समाप्त करने के इच्छुक हैं।

(2) मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय या मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी एक अथवा अधिक अर्हता या कौशल के संबंध में मान्यता वापस करने के संबंध में नोटिस दे सकेंगी।

(3) मान्यता वापस करने के नोटिस की विषय-वस्तु और नोटिस भेजने का तरीका परिषद द्वारा तैयार किए जाने वाले दिशा-निर्देशों में निर्धारित किए जाएंगे।

(4) इस पैराग्राफ के तहत मान्यता प्राप्त निकाय से प्राप्त नोटिस पर विचार करने के लिए परिषद मान्यता प्राप्त निकाय के उपभोक्ताओं पर प्रभाव डाले बिना विचार करेगी।

(5) परिषद मान्यता प्राप्त निकाय को मान्यता वापस करने के अनुरोध को स्वीकार करने, मान्यता वापस करने की प्रभावी तारीख से पहले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और मान्यता प्राप्त निकाय के साथ मान्यता प्रदान करने के लिए किए गए समझौते को समाप्त करने की तारीख और उस व्यक्ति की किस तारीख से मान्यता प्राप्त निकाय की मान्यता समाप्त होगी से संबंधित आदेश जारी करेगी।

27. नोटिस जारी करने की प्रक्रिया – (1) कारण बताओ नोटिस सहित कोई भी नोटिस उस समझौते की शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा, जिसके अनुसरण में उस नोटिस को प्राप्त करने वाले को मान्यता प्रदान की गई है।

(2) परिषद नोटिस जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगी और ऐसे दिशा-निर्देश मान्यता प्रदान करने वाले समझौते का भाग होंगे।

(3) परिषद द्वारा जारी किए जाने वाले सभी नोटिस -

(क) लिखित में होने चाहिए

(ख) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते का उल्लंघन करने पर मान्यता प्राप्त निकाय की कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए

(ग) परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए

(घ) प्रस्तावित कार्रवाई के परिणामों का विवरण होना चाहिए

(ङ) कारण बताओ नोटिस के समर्थन में मौजूद कागजातों को उल्लेख होना चाहिए

(च) वह समय सीमा दी जानी चाहिए जिसके अंदर नोटिस का जवाब देना आवश्यक है; और

(छ) नोटिस का उत्तर देने का तरीका, मांगा गया उत्तर व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है या लिखित अभ्यावेदन के जरिए दिया जाना है या दोनों तरीकों से दिया जाना है का उल्लेख करते हुए बताया जाना चाहिए।

(4) परिषद सभी नोटिसों की विषय-वस्तु को तब तक गोपनीय रखेगा जब तक कि नोटिस का संतोषजनक तरीके से समाधान न हो जाए।

28. आदेश जारी करने की प्रक्रिया - (1) परिषद उस समझौते की शर्तों के अनुसार आदेश जारी करेगी, जिसके अनुसरण में उस नोटिस के प्राप्तकर्ता को मान्यता प्रदान की गई है।

(2) परिषद आदेश जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगी और ऐसे दिशा-निर्देश मान्यता प्रदान करने के समझौते का भाग होंगे।

(3) परिषद निम्नलिखित के संबंध में आदेश जारी कर सकती है:-

(क) मान्यता प्राप्त निकायों को ऐसी एक या अधिक गतिविधियों को रोकने या समाप्त करने के लिए जिनसे मान्यता के समझौते का उल्लंघन होता हो।

(ख) मान्यता प्राप्त निकायों को उनके संबंधित एजेंटों, कर्मचारियों या प्रत्यायित संस्थानों से ऐसी एक या अधिक गतिविधियों को रोकने या समाप्त करने हेतु कहने के लिए जिनसे मान्यता के समझौते का उल्लंघन होता हो।

(ग) मान्यता प्राप्त निकायों को शिकायत निवारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने संबंधित उपभोक्ताओं को समाधान प्रदान करने के लिए।

(घ) पैराग्राफ 24 में सूचीबद्ध कार्रवाई करने के लिए।

(4) यदि परिषद प्रशिक्षार्थियों या उन सेवाओं के उपभोक्ताओं पर मौद्रिक अर्थदंड या क्षतिपूर्ति का भुगतान आरोपित करने का प्रस्ताव करती है तो उसे अर्थदंड या क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित करते समय निम्नलिखित घटकों पर विचार किया जाएगा, नामत:-

(क) उल्लंघन के कारण प्रशिक्षार्थियों को हुई हानि (वित्तीय या अन्य हानि सहित)

(ख) उल्लंघन के कारण अन्य विनियमित निकायों को हुई हानि

(ग) प्रशिक्षार्थियों और विनियमित निकायों को होने वाली संभावित हानि

(घ) क्या उल्लंघन बार-बार किए जाने वाली प्रकृति का है

(ङ) विनियमित बाजार की साख पर समग्र प्रभाव

(5) परिषद द्वारा जारी किए जाने वाले सभी आदेश -

(क) लिखित में होने चाहिए

(ख) आदेश के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए

(ग) आदेश तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली विश्वसनीय विषय-वस्तु का उल्लेख किया जाना चाहिए

(घ) आदेश की समीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त निकाय को अधिकार होना चाहिए

(6) सभी आदेशों पर परिषद के उस सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसे ऐसा कार्य करने के लिए परिषद द्वारा पदनामित किया गया है।

(7) परिषद मान्यता प्राप्त निकायों को दिए गए निजी चेतावनी के आदेशों को छोड़कर सभी आदेशों को प्रकाशित करेगा।

29. निरीक्षण और लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया - (1) परिषद उस समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त निकाय का निरीक्षण करेगी, जिसके अनुसरण में मान्यता दी गई है।

(2) परिषद निरीक्षण करने की प्रक्रिया, मान्यता प्राप्त निकाय को निरीक्षण के संबंध में भेजे जाने वाले पत्राचार और सूचना, निरीक्षण रिपोर्ट का प्रपत्र और मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई के अपेक्षित तरीके के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

(3) इस पैराग्राफ के तहत तैयार किए गए दिशा-निर्देश उस समझौते का भाग होंगे जिसके अनुसरण में मान्यता प्रदान की गई है।

(4) दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित से संबंधित ब्यौरा होगा -

(क) मान्यता प्राप्त निकायों के निरीक्षण की सूचना

(ख) जिस पद्धति से निरीक्षण किया जाएगा वह पद्धति और निरीक्षक तथा मान्यता प्राप्त निकाय के अधिकार और बाध्यताएं

(ग) वह तरीका जिससे निरीक्षण के निष्कर्षों को मान्यता प्रापत निकाय के साथ सांझा किया जाएगा; और

(घ) ऐसे उपाय जो मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा निरीक्षण में सहयोग देने के लिए किए जाएंगे ।

(5) परिषद इस पैराग्राफ के तहत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के जरिए-

(क) उस तरीके का उल्लेख करेगा जिस तरीके से वह मान्यता प्राप्त निकायों का निरीक्षण या लेखा परीक्षा करने के लिए किसी स्वतंत्र फर्म को नियुक्त करे

(ख) उस तरीके का उल्लेख करेगा जो स्वतंत्र फर्म द्वारा अपने कार्यों का निरीक्षण या लेखा परीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त निकाय के लिए अपेक्षित है

(ग) उन परिस्थितियों का उल्लेख करेगा जिनमें मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय की प्रत्यायित प्रशिक्षण निकायों का निरीक्षण करना अपेक्षित है।

30. सूचना के प्रसार की प्रक्रिया - (1) परिषद उस सूचना के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगी, जो जनता को उपलब्ध कराई जानी है और जिस तरीके से इसे उपलब्ध कराया जाना है।

(2) परिषद व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण को समय-समय पर प्रकाशित कर सकती है और इसके संबंध में अनुसंधान करवा सकती है।

(3) इस पैराग्राफ के तहत प्रारंभ किए गए सभी अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) परिषद प्रकाशित की गई सूचना को विभिन्न प्लेटफार्म और भाषाओं में प्रकाशित करने सहित उसे सुगम्य बनाने के लिए अथक प्रयास करेगी।

(5) इस पैराग्राफ के तहत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के लिए मान्यता प्राप्त निकायों हेतु इस कार्य को संपन्न करने के लिए परिषद को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

अध्याय IV

सामान्य निकाय और सलाहकार समिति

31. सामान्य निकाय का गठन और भूमिका – (1) परिषद को उसके कार्यों के निर्वाहन में सलाह देने के लिए एक सामान्य निकाय का गठन किया जाएगा।

(2) सामान्य निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत:-

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में;

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रतिनिधि;

(ग) पांच राज्य सरकारों के प्रतिनिधि जो क्रमवार आधार पर होंगे और प्रत्येक 3 वर्ष बाद नए राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए जाऐंगे; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के दो प्रतिनिधियों का नामांकन रोटेशन आधार पर किया जाएगा, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) सामान्य निकाय एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगा।

(4) परिषद द्वारा सामान्य निकाय की उस बैठक के बाद, जिसमें सलाह दी गई थी, आयोजित अगली बैठक में उस पर विचार किया जाएगा।

32. सलाहकार समिति के संरचना और कार्य – (1) परिषद अपने कार्यों का शीघ्रता से निर्वहन करने के लिए यदि सलाहकार समिति का गठन करना आवश्यक समझे तो ऐसी सलाहकार समिति का गठन कर सकती है।

(2) प्रत्येक सलाहकार समिति में ऐसे मुद्दों से संबंधित विशेषज्ञ होंगे, जिनके लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

(3) किसी सलाहकार समिति का कोई सदस्य सलाहकार समिति में 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्य नहीं करेगा।

(4) सलाहकार समिति उप-विधियों के तहत परिषद द्वारा निर्धारित की गई कार्यविधि के अनुसार कार्य करेगी।

अध्याय V

मान्यता प्राप्त निकायों के कार्य

33. मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के कार्य – (1) मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय -

(क) सभी अर्हताओं या कौशलों के संबंध में मान्यता की उन सभी शर्तों का पालन करेंगी जिनके तहत उसे मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) मान्यता के समझौते के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शिक्षुता प्रशिक्षण या पूर्व शिक्षण मान्यता प्रदान करने के लिए एक या अधिक प्रशिक्षण निकायों को प्रत्यायन प्रदान करेंगी।

(ग) उन प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी जिन्होंने प्रत्यायित प्रशिक्षण निकाय से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी द्वारा संबद्ध अर्हता या कौशल के संबंध में जांच करेंगी।

(घ) प्रत्यायन और मान्यता के समझौते की शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण निकायों के कार्यकरण की निगरानी करेंगी।

(ङ) प्रत्यायन की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में दिए गए तरीके से प्रशिक्षण निकायों का प्रत्यायन रद्द करेगी।

(च) प्रशिक्षार्थियों की सभी व्यक्तिगत सूचना को गोपनीय रखेगी और मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अधीन प्रत्यायित प्रशिक्षण निकायों से भी ऐसा करना अपेक्षित होगा।

(छ) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अनुसार शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रणाली स्थापित करेगी।

(ज) इसके कार्यकलापों का निरीक्षण, अन्वेषण या लेखा परीक्षा करने में परिषद को सहयोग करेंगे; और

(झ) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के तहत कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं को यथापेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगी।

(2) मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय करेंगे -

(क) दी गई सेवाओं के संबंध में शुल्क वसूल कर सकती हैं।

(ख) जिन अर्हताओं या कौशलों के संबंध में इसे मान्यता प्रदान की गई है उनके संबंध में पाठ्यचर्या विकसित कर सकती हैं।

(ग) परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन इसे मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

(घ) आम जनता को इसकी गतिविधियों के संबंध में सूचना का प्रसार कर सकती है; और

(ङ) परिषद को अनुमोदन के लिए अर्हता पैक सृजित और प्रस्तुत कर सकती है।

(3) मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय नहीं करेंगे -

(क) किसी अमान्य अर्हता या कौशल सहित परिषद के ब्रांड या लोगो का प्रयोग उस तरीके से नहीं करेंगे, जिसकी अनुमति मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में नहीं दी गई है;

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी जो अर्हता या कौशल के मामले में मान्यता प्राप्त है, यदि ऐसी अर्हता या कौशल की मान्यता इसे प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) परिषद द्वारा किए जाने वाले किसी निरीक्षण या अन्वेषण में सहयोग करने से मना नहीं करेंगे।

(4) परिषद इस पैराग्राफ के अनुसार मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में किसी दिशा-निर्देश को शामिल करेगी।

34. मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी के कार्य - (1) मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी करेगी -

(क) उन सभी अर्हताओं या कौशलों के संबंध में जिनके लिए इसे मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता की शर्तों का सदैव पालन करेगी;

(ख) अर्हता या कौशल का आकलन करने के संबंध में मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार अर्हता या कौशल का आकलन करेगी, तदनुसार आकलन के परिणामों को सही तरीके से दर्ज करेगी और उनकी सूचना मान्यता प्राप्त निकायों को उसी तरीके से देगी जो मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में दिए गए हैं;

(ग) अर्हता या कौशल के संबंध में प्रशिक्षार्थी का आकलन पूरा करने के पश्चात् उसे आकलन करने की पावती जारी करेगी;

(घ) अर्हता या कौशल का आकलन करने के लिए पद्धति, ढांचा और तरीके विकसित करेगी;

(ङ) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अधीन प्रशिक्षार्थियों के सभी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखेगी;

(च) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अनुसार शिकायत निवारण की प्रणाली स्थापित करेगी;

(छ) इसकी गतिविधियों के किसी निरीक्षण, अन्वेषण या लेखा परीक्षा में परिषद को सहयोग करेगी;

(ज) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के तहत यथापेक्षित सूचना कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं को प्रस्तुत करेगी।

(2) मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी-

(क) उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में शुल्क वसूल कर सकती है;

(ख) परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी; और

(ग) अपनी गतिविधियों के बारे में आम जनता में सूचना का प्रसार करेगी।

(3) मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी नहीं करेगी -

(क) किसी अमान्य अर्हता या कौशल सहित परिषद के ब्रांड या लोगो का प्रयोग उस तरीके से नहीं करेगी जिसकी अनुमति मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में नहीं दी गई है;

(ख) अवार्डिंग निकाय और प्रशिक्षार्थी के साथ किसी आकलन के परिणामों को साझा करने से तब तक मना नहीं करेगी जब तक कि मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के किसी खंड में ऐसा करने से मना करने की अनुमति न हो;

(ग) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में यथा उल्लिखित को छोड़कर इसके द्वारा किए गए आकलन की विषय-वस्तु को उद्घाटित नहीं करेगी;

(घ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी जो अर्हता या कौशल के मामले में मान्यता प्राप्त है, यदि ऐसी अर्हता या कौशल की मान्यता इसे प्रदान नहीं की गई है; और

(ङ) परिषद द्वारा किए जाने वाले किसी निरीक्षण या अन्वेषण में सहयोग करने से मना नहीं करेगी।

(4) परिषद इस पैराग्राफ के अनुसार मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में किसी दिशा-निर्देश को शामिल करेगी।

35. कौशल विश्वविद्यालय के कार्य - (1) कौशल विश्वविद्यालय करेंगे -

(क) अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों की उन मान्यता शर्तों का पालन करेगा जो कौशल विश्वविद्यालय पर लागू होती हैं;

(ख) केवल ऐसी अर्हताओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिसके लिए परिषद से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

(ग) जिन अर्हताओं या कौशलों के संबंध में इसे मान्यता प्रदान की गई है, उनमें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक अवसंरचना का विकास और रख-रखाव करेगा;

(घ) जिन अर्हताओं या कौशलों के संबंध में इसे मान्यता प्रदान की गई है, उनमें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपेक्षित शिक्षण कर्मियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें रख सकता है;

(ङ) कौशल विश्वविद्यालय के अनुसंधान और विकासात्मक कार्यों के संबंध में परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मान्यता की शर्तों का पालन करेंगे;

(च) एजेंट, प्रशिक्षण निकाय और अन्य व्यक्ति जो दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार कौशल विश्वविद्यालयों की और से कोई कार्य करते हैं, उनके निष्पादन की नियमित निगरानी करेगा;

(छ) दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षार्थियों की व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा;

(झ) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अनुसार शिकायत निवारण की प्रणाली स्थापित करेगी;

(ञ) इसकी गतिविधियों के किसी निरीक्षण, अन्वेषण या लेखा परीक्षा में परिषद को सहयोग करेंगे;

(ज) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के तहत यथापेक्षित सूचना कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं को प्रस्तुत करेगी।

(2) कौशल विश्वविद्यालय-

(क) दी गई सेवाओं के संबंध में शुल्क वसूल कर सकता है।

(ख) जिन अर्हताओं या कौशलों के संबंध में इसे मान्यता प्रदान की गई है उनके संबंध में पाठ्यचर्या विकसित कर सकता है।

(ग) आम जनता को इसकी गतिविधियों के संबंध में सूचना का प्रसार कर सकता है; और

(घ) परिषद को अनुमोदन के लिए अर्हता पैक सृजित और प्रस्तुत कर सकता है।

(3) मान्यता प्राप्त कौशल विश्वविद्यालय नहीं करेंगे -

(क) किसी अमान्य अर्हता या कौशल सहित परिषद के ब्रांड या लोगो का प्रयोग उस तरीके से नहीं करेगा जिसकी अनुमति मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में नहीं दी गई है;

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जो अर्हता या कौशल के मामले में मान्यता प्राप्त है, यदि ऐसी अर्हता या कौशल की मान्यता इसे प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) परिषद द्वारा किए जाने वाले किसी निरीक्षण या अन्वेषण में सहयोग करने से मना नहीं करेगा।

(4) परिषद इस पैराग्राफ के अनुसार मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में किसी दिशा- निर्देश को शामिल करेगा।

36. मान्यता प्राप्त कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं के कार्य - (1) मान्यता प्राप्त कौशल संबंधी सूचना प्रदाता-

(क) परिषद के साथ सदैव मान्यता बनाए रखेगा;

(ख) मान्यता प्राप्त निकायों, प्रशिक्षण निकायों और प्रशिक्षार्थियों से संबंधित सूचना एकत्र करेगा और उसे आम पहुंच वाले इलैक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर प्रकाशित करेगा;

(ग) सूचना एकत्र करने और उसे साझा करने के लिए मान्यता प्राप्त निकायों के साथ समझौता करेगा;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के प्रमाणन और प्राधिकार के लिए प्रणाली तैयार करेगा जो आम पहुंच वाले इलैक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर सूचना देते हैं और प्रकाशित करते हैं;

(ङ) ऐसी प्रणाली तैयार करेगा जिसके द्वारा सेवाओं के उपभोक्ता इसके द्वारा प्रकाशित सूचना में हुई गलतियों या विसंगतियों को सूचित कर सकेंगे;

(च) मान्यता के समझौते के अनुसार शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगा;

(छ) ऐसी सूचना को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा जिसे मानयता प्राप्त निकाय के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो; और

(ज) इसकी गतिविधियों के निरीक्षण, अन्वेषण या लेखा परीक्षा में परिषद का सहयोग करेगा।

(2) मान्यता प्राप्त कौशल संबंधी सूचना प्रदाता -

(क) दी गई सेवाओं के संबंध में सेवाओं के उपभोक्ताओं से शुल्क वसूल कर सकता है; और

(ख) आम जनता को इसकी गतिविधियों के संबंध में सूचना का प्रसार कर सकता है।

(3) मान्यता प्राप्त कौशल संबंधी सूचना प्रदाता नहीं करेगा -

(क) ऐसी सूचना जिसे किसी मान्यता प्राप्त निकाय को अन्यथा गोपनीय रखना अपेक्षित होता है, तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि मान्यता के समझौते में ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो;

(ख) परिषद के ब्रांड या लोगो का प्रयोग उस तरीके से नहीं करेगा, जिसकी अनुमति मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में नहीं दी गई है; और

(ग) परिषद द्वारा किए जाने वाले किसी निरीक्षण या अन्वेषण में सहयोग करने से मना नहीं करेगा।

(4) परिषद इस पैराग्राफ के अनुसार मान्यता प्रदान करने वाले समझौते में किसी मार्गनिर्देश को शामिल करेगा।

अध्याय V।

निधि

37. परिषद की निधि – (1) एक निधि सृजित की जाएगी, जिसे परिषद की निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी:-

(क) केंद्र सरकार द्वारा परिषद को दिए गए सभी अनुदान।

(ख) परिषद को प्राप्त हुआ समस्त शुल्क, और

(ग) अन्य स्रोतों से परिषद को प्राप्त हुई समस्त धनराशि।

(2) निधि का उपयोग खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा:-

(क) परिषद के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य वृत्तिका;

(ख) कार्यों के निस्तारण के लिए परिषद द्वारा किया गया व्यय; और

(ग) इस आदेश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिषद द्वारा किया गया व्यय।

(3) परिषद अपने कार्यों के निस्तारण के लिए विनियमित निकायों पर शुल्क वसूल कर सकती है।

(4) परिषद वसूल और एकत्र किए जाने वाले शुल्क की मात्रा और ढांचा तथा ऐसे शुल्कों को एकत्रित करने के तरीके के संबंध में उपविधियां तैयार करेगी।

(5) शुल्कों संबंधी उपविधियां तैयार करने में परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी:

(क) कौशल विकास क्षेत्र के दीर्घावधि हितों को ध्यान में रखते हुए उपविधियों का प्रारूप;

(ख) सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपविधियों के प्रारूप का प्रकाशन;

(ग) जनता से प्राप्त हुई टिप्पणियों पर विचार करना और उपविधियों का संशोधित प्रारूप तैयार करना;

(घ) केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए उपविधियों का प्रारूप प्रस्तुत करना; और

(ङ) केंद्र सरकार से प्राप्त हुई सलाह, यदि कोई हो, के आधार पर उपविधियों में उपयुक्त परिवर्तन करना।

(6) परिषद फीस वसूल करने में निम्नलिखित घटकों में से किसी एक या अधिक घटक को, जो भी संगत हो, ध्यान रखेगी, नामत:-

(क) मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और आकार;

(ख) यह आवश्यकता कि शुल्कों की वसूली से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं होती;

(ग) यह आवश्यकता कि वसूल किया गया शुल्क उन कार्यों का निस्तारण करने में परिषद द्वारा व्यय की जाने वाली लागत के समनुपात में नहीं है, जिन कार्यों के लिए शुल्क वसूल किया जाएगा; और

(घ) परिषद की वित्तीय आवश्यकताएं।

38. केंद्र सरकार से अनुदान - (1) केंद्र सरकार परिषद को अनुदान दे सकती है।

(2) परिषद करेगी, -

(क) वार्षिक बजट तैयार करेगी;

(ख) मान्यता प्राप्त निकायों से प्राप्त होने वाले शुल्क और किसी अन्य आय का लेखाकरण करने के पश्चात् बजट में संभावित कमी की गणना; और

(ग) अनुदान मांग और अनुदान जारी करने की अनुसूची के साथ केंद्र सरकार को बजट प्रस्तुत करेगी;

(3) परिषद से प्राप्त हुई अनुदान मांग पर विचार करने के पश्चात् केंद्र सरकार परिषद को अनुदान का आवंटन कर सकती है।

(4) यदि अनुदान की राशि परिषद द्वारा मांग की गई राशि से कम होगी तो परिषद संशोधित बजट तैयार कर सकती है और अनुदान जारी करने के लिए संशोधित अनुसूची प्रस्तुत करेगी।

39. लेखा और लेखा परीक्षा - (1) परिषद को लेखें और अन्य संबंधित रिकॉर्डों का उचित रख-रखाव करेगी तथा वार्षिक लेखा विवरण भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में तैयार करेगी।

(2) परिषद के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या किसी अन्य सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षा दल द्वारा किया गया कोई व्यय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा ऐसे सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा देय होगा।

(3) परिषद के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और इस संबंध में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को वही अधिकार और प्राधिकार होंगे, जो ऐसी लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सरकारी खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशेष रूप से पुस्तकों, लेखों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजातों को प्रकाशित करने और परिषद के कार्यालयों का निरीक्षण करने के संबंध में अधिकार होते हैं।

(4) सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित परिषद के खाते और उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को उन पर की गई टिप्पणियों के साथ केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा।

(5) परिषद के लेखों की लेखा परीक्षा वार्षिक आधार पर सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाएगी।

(6) परिषद को ऐसे रिकॉर्ड सुरक्षित करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में निर्धारित की गई समयावधि और कार्यविधि के अनुसार हो सकते हैं।

अध्याय VII

विविध

40. परिषद की वार्षिक रिपोर्ट – परिषद एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें उस वित्तीय वर्ष से तत्काल पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद की संपूर्ण गतिविधियों के संपूर्ण लेखे दिए जाएंगे, जिस वित्तीय वर्ष में यह रिपोर्ट तैयार की गई हो और उस रिपोर्ट की प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी।

41. संसद के समक्ष रखी जानी वाली वार्षिक रिपोर्ट – केंद्र सरकार परिषद की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का कारण बताएगी।

42. राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी में स्थिति राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता समिति और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत अपने-अपने कार्यों को परिषद के गठन से 180 दिनों तक करते रहेंगे।

43. राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के मौजूदा कार्यालय को अपनी मौजूदा जन-शक्ति और स्वीकृत कर्मचारियों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद में कर्मचारियों की तैनाती के लिए अंतरित किया जाएगा।

44. यह संकल्प सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा। श्रम मंत्रालय का दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 का संकल्प संख्या टीआर/ईपी-24/56 और इसमें हुए बाद के संशोधन तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 06 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या 14/27/2012-ईसी इस संकल्प के प्रभावी होने की तारीख से ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किए गए संशोधन को छोड़कर रद्द समझे जाएंगे।

विनीता अग्रवाल, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार,

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2018

No. SD-17/113/2017-E&PW.—In pursuance of the decision of the Cabinet in its meeting held on 10th October 2018, the National Council for Vocational Education and Training is hereby notified as follows:

(a) The National Council for Vocational Education and Training constituted under paragraph 2 will subsume the existing National Council for Vocational Training and the National Skill Development Agency.

(b) The National Council for Vocational Education and Training shall be entrusted with the development, qualitative improvement and regulation of vocational education and training, for granting recognition to and monitoring the functioning of awarding bodies, assessment agencies, skill information providers, and training bodies, and to perform other incidental functions as specified in this Resolution.

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Definitions.—For the purpose of this Resolution, unless the context otherwise requires, —

(i) "accreditation" means a process by which an awarding body recognizes a training body to offer an affiliated course;

(ii) "affiliation" means the process by which an awarding body allows a training body to offer a specific course that is certified by the awarding body;

(iii) "agreement" means an agreement made between the Council and the awarding bodies, assessment agencies, or skill related information providers pursuant to which recognition is granted to them as referred to in paragraph 20 of the Resolution;

(iv) "applicant" means a person who makes an application for recognition with the Council under paragraph 25 of the Resolution;

(v) "assessment agency" means a person which tests or conducts examinations to assess whether a trainee has met the requirements necessary to be certified as qualified with respect to a skill or qualification;

(vi) "awarding body" means a person which awards or which proposes to award certification for a skill or a qualification;

(vii) "Council" means the National Council for Vocational Education and Training constituted under paragraph 2 of the Resolution and all references to the National Council as defined in sub-section (l) of section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) shall be construed accordingly;

(viii) "Chairperson" means the Chairperson of the Council;

(ix) "Executive Member" means the Executive Member of the Council;

(x) "inspection" means examination of a recognized body or a training body or a Skills University in order to ensure compliance with the conditions of the agreement pursuant to which recognition has been granted or may be granted, and includes collection of any information, including documents, samples, records from any office or premise (including training bodies) or database for such purpose;

(xi) "Member" means an Executive Member, Non-Executive Member, Nominated Member of the Council, and includes the Chairperson;

(xii) "Non-Executive Member" means the Non-Executive Member of the Council;

(xiii) "notification" means a notification published in the Official Gazette, and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(xiv) "person" includes,—

(a) an individual;

(b) a Hindu undivided family;

(c) a Company;

(d) a trust;

(e) a partnership firm;

(f) a limited liability partnership company;

(g) a registered society;

(h) an association of persons or body of individuals whether incorporated or not;

(i) any agency, branch or office owned or controlled by any of the persons mentioned in clauses (a) to (h);

(xv) "qualification" or "skill" means a qualification or skill in respect of which the Council has approved a qualification package;

(xvi) "recognized assessment agency" means a person who is a party to an agreement granting recognition with the Council as per sub-paragraph (6) of paragraph 25, and which is permitted to test or conduct

examinations to assess whether a trainee has met the requirements to be certified as qualified by a recognized awarding body;

(xvii) "recognized awarding body" means a person which enters into an agreement granting recognition with the Council as per sub-paragraph (6) of paragraph 25, and which is permitted to award certification for a qualification or a skill by accrediting training bodies and for regulating their conduct;

(xviii) "recognized skill related information provider" means a skill related information provider who agrees to provide information relating to recognized bodies, accredited training bodies and their consumers, their performance and quality, on a publicly accessible electronic platform as per the agreement for recognition;

(xix) "recognized body" includes a recognized awarding body, recognized assessment agency or recognized skill related information provider, as the case may be;

(xx) "trainee" means a person who enrolled with an accredited training body with the purpose of receiving an award from the recognized awarding body;

(xxi) "training body" means a person who accredited with a recognized awarding body for providing training with respect to qualifications and skills;

(xxii) "recognition of prior learning" means assessment and certification of individuals with prior learning experience or skills;

(xxiii) "Skills University" means a university or an institute established or incorporated under a central, state or provincial statute, and recognized by the Council for providing or developing advanced vocational education and training programs and for conducting research and development in skill education and training;

(xxiv) "Vocational Education and Training" means all skill development programs, both long-term and short-term, apprenticeship training and recognition of prior learning, certified by the Council but not covered by the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), or by any other law for time being in force.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

2. Constitution of the Council.—(1) There shall be constituted, for the purposes of this Resolution, a Council to be called as the National Council for Vocational Education and Training.

(2) The Council shall consist of minimum of six Members and a maximum of ten Members, which are as follows, namely: —

(a) a Chairperson to be appointed by the Central Government;

(b) two or more persons — Executive Members to be appointed by the Central Government;

(c) two or more persons — Non-Executive Members to be appointed by the Central Government; and

(d) one person to be nominated by the Central Government.

(3) The number of Executive Members shall not exceed half of the strength of the Council.

(4) The Head office of the Council shall be at such place as may be decided by the Central Government.

3. Qualifications for appointment as a Chairperson and other Members.— (1) The Chairperson and other members of the Council shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing, who have special knowledge of, and such professional experience of not less than fifteen years in business management, human resource management, skill development, higher education, public administration or related fields:

PROVIDED that a person who is, or has been, in the service of Government shall not be appointed as a

(a) Chairperson, unless such person has held the post of Secretary/ Additional Secretary to the Government of India or any equivalent post in the Central Government or the State Government; or

(b) Executive Member, unless such person has held the post of Additional Secretary to the Government of India or Joint Secretary to the Government of India or any equivalent post in the Central Government or the State Government.

(2) A person shall be disqualified for being appointed or nominated, as the case may be as a Member, if he –

(a) is an executive director or employee of an awarding body, an assessment agency, a vocational training institute, or any other person directly or indirectly regulated by the Council;

(b) is not a fit and proper person;

(c) is a sitting Judge of a Court of law or a sitting member of a statutory Tribunal;

(d) is a Member of Parliament, State legislature, a Local Legislature under Part VIII of the Constitution of India, a Panchayat or a Municipality;

(e) has already served for ten years as a Member of the Council;

(f) has already served as the Chairperson of the Council; or

(g) is sixty-two years of age or more.

Explanation. —For the purpose of this paragraph, "fit and proper person" means a person with, —

(i) financial integrity;

(ii) good reputation and character; and

(iii) absence of any conviction for an offence involving moral turpitude.

4. Method of appointment. — (1) The Chairperson and other Members of the Council other than the Member nominated by the Central Government shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee, which shall consist of —

(a) Cabinet Secretary — Chairperson;

(b) Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship — Member;

(c) Secretary, Department of Personnel & Training — Member;

(d) Two independent experts — Member.

(2) The independent experts referred to in sub-paragraph (1) shall be appointed by the Central Government from persons of repute in the fields of public administration, vocational education and training, human resource management, economics, or business management.

(3) The Selection Committee shall for the purposes of selecting the Chairperson and Members of the Council, except Nominated Member, recommend at least two to three persons for every vacancy to be considered for appointment by the Central Government.

(4) The Central Government shall appoint the Members of the Council from such panel recommended by the Selection Committee.

(5) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation.

5. Terms of office and conditions of service of Members.—(1) The Members excluding Nominated Member, shall hold office as such for a term of five years or until the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) The terms of appointment of Members and other conditions of service shall be such as may be determined by the Central Government.

(3) While determining the terms of appointment of Members, the Central Government shall consider the requirements of,—

(a) independence of the Council; and

(b) requisite talent and expertise to the Council.

(4) The terms on which a Member is appointed shall not be varied to their disadvantage after appointment.

6. Executive Member.— (1) The Executive Member shall be whole-time Member of the Council.

(2) The Council may permit in writing, an Executive Member to undertake such honorary work as is not likely to interfere with his duty as an Executive Member.

7. **Resignation**.— (1) A Member may, by notice in writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office, whichever is the earliest.

(2) If the Central Government appoints a person prior to the expiry of the three months referred to sub-paragraph (1), the Council shall pay the salary of the outgoing Member for the remaining period of the three months.

8. Removal of Members.— (1) The Central Government, on receipt of a written complaint, may by order, remove a Member from office if the Member has,—

(i) been adjudged as an insolvent;

(ii) been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;

(iii) been engaging in any employment during the tenure of appointment, in violation of the terms and conditions of service;

(iv) acquired any financial or other interest as is likely to affect prejudicially the functions as a Member;

(v) failed to adequately disclose any direct or indirect pecuniary interest;

(vi) made any material misrepresentation to the Selection Committee;

(vii) abused the position as to render continuance in office prejudicial to the objectives of the Council;

(viii) become physically incapable of discharging the duties; or

(ix) been declared of unsound mind

Provided that where a Member is proposed to be removed on any ground specified above, the Member shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges;

(2) On receipt of a complaint under sub-paragraph (1), the Central Government shall constitute an Inquiry Committee to inquire the complaint.

9. Casual Vacancies.—The Central Government shall fill a vacancy on the Council, —

(a) where the casual vacancy reduces the strength of the Council below the minimum strength, within fifteen days from the date on which the vacancy arises; and

(b) in all other cases, within one hundred and eighty days from the date on which the vacancy arises.

10. Meetings of the Council.— (1) The Council shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum at meetings) as may be provided in the bye-laws, framed by it.

(2) The Chairperson, **or**, if for any reason he is unable to attend any meeting, any other Executive Member authorized by the Chairperson and in the absence of both, any other Member chosen by the Members present at such meeting shall preside at the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Council shall be decided by a majority of the votes of the Members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

(4) The Council shall designate an officer of the Council responsible for maintaining and publishing all records of every meeting.

(5) The records shall be published by the Council as may be determined by the Central Government.

(6) The Council shall lay down in its bye-laws the categories of records which can be published after a delay and the bye-laws shall contain the time-frame within which such records shall be published.

Explanation. — In this paragraph, "records" mean the agenda, proposals, and decisions taken at a meeting, and includes the votes of each Member.

11. Conduct of Members.— (1) Any Member who has any direct or indirect interest in any matter likely to come up for consideration at a meeting of the Council shall, as soon as possible, after the relevant circumstances have come to the knowledge of that Member, disclose the nature of his interest to the Council.

(2) Every disclosure made by such Member shall be recorded in the proceedings of the meeting of the Council at which the matter comes up for discussion and that Member shall recuse from any deliberation or decision of the Council with respect to that matter.

12. Validity of proceedings not affected.—No act or proceeding of the Council shall be declared invalid merely by reason of, —

(a) any vacancy or defect, in the constitution of the Council;

(b) any defect in the appointment of a Member; or

(c) any violation of the bye-laws of the Council not affecting the merits of the decision.

13. Delegation by the Council.—(1) The Council shall have the power to make bye-laws delegating the functions of the Council to the Chairperson or any other Member or employee of the Council, subject to any condition that may be provided in the bye-laws.

(2) Unless provided otherwise in the Resolution, the Chairperson is the Chief Executive Officer of the Council having powers of general direction and control in respect of all administrative matters of the Council.

14. Employees of the Council.—(1) The Council may appoint such employees, as considered necessary for the efficient discharge of its functions.

(2) The Council shall have the power to make bye-laws on the procedure of selection, terms, compensation and conditions of the appointment and conditions of service of such employees.

15. Business which the Council may not transact.—(1) Except in the pursuit of its objectives under this Resolution or under any other law for the time being in force, the Council shall not, —

(a) purchase any capital, including any shares of any bank or of any other person or grant loans against such capital or shares; or

(b) advance money on the mortgage or otherwise against the collateral of immovable property or documents of title relating to such immovable property or become the owner of immovable property.

(2) The provisions of clause (b) of sub-paragraph (1) shall not prevent the Council from acquiring or holding property necessary for its business or residential premises for its use.

CHAPTER III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COUNCIL

16. Functions of the Council.— (1) The Council shall:—

(a) recognize, monitor, discipline and de-recognize awarding bodies;

(b) recognize, monitor, discipline and de-recognize assessment agencies;

(c) recognize, monitor, discipline and de-recognize skill related information providers;

(d) recognize Skills Universities as a separate category of bodies for providing advanced vocational education and training programmes and conducting research and development in skill education and training;

(e) create and monitor, a system of redressing grievances against recognized bodies;

(f) frame guidelines for the approval of qualification packages, and approve qualification packages in the manner set out in such guidelines;

(g) frame guidelines for the conditions of recognition and functioning of awarding bodies, including their roles and responsibilities with respect to training bodies, consumer of such services, and assessment agencies and consequences for violations of such conditions;

(h) frame guidelines for training and certification of trainers by awarding bodies;

(i) frame guidelines for the conditions of recognition and functioning of assessment agencies, including their roles and responsibilities with respect to training bodies, consumer of such services, and awarding bodies and consequences for violations of such conditions;

(j) frame guidelines for the conditions of recognition and functioning of skill related information providers, including their roles and responsibilities with respect to consumer of such services and consequences for violations of such conditions;

(k) frame broad guidelines, in consultation with the Central Government, to lay down basic minimum standards or norms for recognition as Skills University;

(l) frame guidelines, if required, for the manner in which fees and charges that recognized bodies may impose on consumer of such services should be determined, and the adequate disclosure of fees and charges levied by recognized bodies;

(m) enter into agreements with awarding bodies, assessment agencies and skill related information providers in order to enforce the conditions of recognition and ensure their functioning in compliance with guidelines framed by the Council;

(n) disseminate information regarding awarding bodies, assessment agencies, training bodies and their activities pursuant to the agreement granting recognition;

(o) frame guidelines regarding the protection of personal information of trainees by recognized bodies and the proper means of disclosure as per the agreements granting recognition;

(p) frame guidelines and bye-laws for the protection of commercially sensitive information of recognized bodies;

(q) allow recognized awarding bodies, assessment agencies and training bodies to use the Council's logo and name in the manner to be set out in guidelines framed by the Council;

(r) disseminate information regarding the role and activities of the Council and the use of its name and logo;

(s) seek necessary information from recognized bodies, and have regular audits and inspections of their activities conducted to ensure their compliance with conditions of recognition and general functioning imposed by the Council; and

(t) take all such steps as may be necessary or convenient for, or may be incidental to exercise of any power or the discharge of any function conferred or imposed on it by this Resolution.

(2) The Council may, in agreements to be entered with awarding bodies, create rights and obligations for training bodies as a condition of recognition of awarding bodies.

(3) The Council may, while giving recognition to any Skills University, allow it to carry out the same functions as a recognized awarding body, a training body, and a recognized assessment agency, subject to the provisions of this Resolution.

17. Powers to regulate conflicts of interest.—(1) The Council may frame guidelines regarding conflicts of interest including, —

(a) conflicts that to be avoided, and the manner in which recognized bodies shall avoid such conflicts;

(b) conflicts that to be resolved, and the manner in which recognized bodies shall resolve such conflicts; and

(c) obligations of recognized bodies to report conflicts of interest to the Council along with information regarding how such conflicts were avoided or resolved.

(2) The Council may frame guidelines to prevent or resolve conflicts of interest that may arise or exist due to any activity of a recognized assessment agency or recognized awarding body as a training body.

18. Power to grant dual recognition for awarding and assessment functions.—(1) No awarding body shall be recognized for conducting assessments, and no assessment body shall be recognized as an awarding body with respect to short-term training unless the requirements stated in sub-paragraph (2) are fulfilled.

(2) The guidelines for dual recognition for short-term training under this paragraph shall require,—

(a) additional requirements for recognition considering the potential risks arising from such persons carrying out the functions of two recognized bodies;

(b) separation of personnel, systems, and managerial control of the functions of awarding certifications for qualifications, and assessment of qualifications or skills;

(c) such financial requirement as a condition of recognition, as it thinks fit; and

(d) established track record of integrity and exceptional market reputation.

(3) Any recognition granted under sub-paragraph (1) shall be valid for a maximum period of three years, after which such body shall demonstrate its eligibility by submitting a fresh application.

(4) For long-term training, the Council may grant recognition to the same body for carrying out the functions of two recognized bodies, namely: —

(a) awarding certification for qualifications or skills; and

(b) assessment of qualifications or skills.

(5) The guidelines for dual recognition for long-term training under this paragraph shall require,—

(a) additional requirements for recognition considering the potential risks arising from such persons carrying out the functions of two recognized bodies; and

(b) established track record of integrity and exceptional market reputation.

Explanation. – For removal of doubts, "long-term skilling" means any vocational training programme undertaken for a year and above.

19. Powers of the Council to frame guidelines.— (1) The Council shall have the power to frame guidelines in order to discharge the functions assigned to it under paragraph 16.

(2) The Council shall not frame guidelines that are retrospective in nature.

(3) The Council shall ensure before framing a guideline, —

(a) a draft of the guideline has been prepared;

(b) the draft of the guideline has been made available in public domain, and a minimum period of twenty-one days has been given for public for their comments, along with an explanatory statement of what the guideline intends to do, the precise mechanisms by which the guideline will achieve the stated objective, and the costs and benefits of the requirements proposed in the draft guidelines;

(c) a generalized response, to the comments received on the draft guidelines during the period of twenty-one days, and after the expiry of the said period, has been prepared; and

(d) comments received with regard to the draft guidelines, the responses, if any, of the staff of the Council, and any changes proposed to the draft guidelines have been considered.

(4) The Council may approve the draft guidelines after due consideration with changes, or without any changes, or disapprove the guidelines completely.

(5) The Council shall notify all guidelines approved by it.

(6) The Council shall frame guidelines on the fees to be charged by it for recognition of awarding bodies, assessment agencies and skill related information providers after holding consultations with the Central Government, in addition to the process stated in sub-paragraph (3).

20. Power of the Council to enter into agreements with recognized bodies.—(1) The Council may recognize awarding bodies, assessment agencies and skill related information providers by entering into agreements with them in the manner to be set out in the guidelines framed by it.

(2) The Council may grant recognition to an awarding body or an assessment agency in respect of more than one qualification or skill in the same agreement.

(3) No change shall be made to an agreement after such agreement has been entered into.

(4) The Council shall notify all agreements after such agreements are entered into.

21. Power of the Council to initiate legal proceedings for misuse of the Council's name or logo.— (1) The Council shall not allow any person to represent itself as a recognized body without entering into an agreement with the Council.

(2) If the Council finds any person falsely representing themselves as recognized by the Council, it may immediately initiate legal proceedings against such persons in order to seek, —

(a) monetary compensation for injury if any, caused as a result of such false representation to the Council, recognized bodies or consumers of the services; and

(b) any other remedy available to it for preventing or deterring misuse or false representation of the Council's name and logo.

22. Power to redress grievances.—(1) In discharge of its function of redressing grievances referred to in clause (e) of sub-paragraph (1) of paragraph 16, the Council may,–

(a) require recognized bodies to redress grievances of their respective aggrieved persons, including payment of monetary compensation; and

(b) provide redress to aggrieved persons by itself against certain types of grievances relating to the conduct of recognized bodies or training bodies.

(2) The Council shall frame guidelines regarding the system of grievance redressal by stating the obligations of recognized bodies to redress grievances.

23. Power to take action for violation of agreement.—(1) The Council may issue directions and take action, as it deems fit, for any violation of the agreement pursuant to which recognition has been granted.

(2) The Council shall frame guidelines regarding the circumstances in which directions referred to in sub-paragraph (1) may be issued, the process to be followed, actions to be taken, upper limit of monetary penalties that the Council, in consultation with the Central Government may impose for violation of an agreement.

(3) The agreement granting recognition, referred to in sub-paragraph (6) of paragraph 25, shall require compliance with guidelines framed under this paragraph.

(4) All actions shall be taken by following the process specified in paragraph 28.

(5) All monetary penalties realized, including any monetary compensation realized under clause (a) of sub-paragraph (2) of paragraph 21 shall be credited to the Consolidated Fund of India as soon as may be practicable.

(6) The Council may also take any action referred to in paragraph 24.

24. Action for breach of agreement granting recognition.—The Council may take one or more of the following actions against recognized bodies if they violate the terms of the agreement granting recognition, namely: —

(1) private warning;

(2) public warning;

(3) directions to cease and desist certain activities;

(4) compensation or directions requiring specific performance towards trainees or consumer of the services;

(5) impose penalties; and

(6) de-recognition of a recognized body, leading to termination of the agreement pursuant to which recognition was granted.

Explanation.— For the removal of doubts,–

(i) "private warning" means a communication issued by the Council to a recognized body informing the body of its non-compliance or breach of any of the conditions of recognition, including the communication of information relating to any consequences arising from such non-compliance or breach, and which is issued solely to such recognized body, and not published or communicated by the Council to any other person.

(ii) "public warning" means a communication issued by the Council to a recognized body informing the body of its non-compliance or breach of any of the conditions of recognition, including the communication of information relating to any consequences arising from such non-compliance or breach, and which is published by the Council in accordance with its guidelines or bye-laws.

25. Grant of recognition and other approvals.—(1) The Council shall grant recognition to an applicant, if, —

(a) such person makes an application seeking recognition as a recognized body;

(b) the application conforms to the requirements stated in the guidelines framed under sub-paragraph (2); and

(c) the applicant meets the eligibility requirements stated in the guidelines framed under sub-paragraph (2).

(2) The guidelines referred to in sub-paragraph (1) shall, *inter alia*, provide for, —

(a) the format of agreements to be entered into with recognized bodies;

(b) the process for submission and acknowledgement of applications;

(c) eligibility requirements;

(d) information to be submitted by applicants;

(e) the communication justifying the decisions for approving or rejecting applications; and

(f) rights of applicants whose application is rejected.

(3) The Council shall have the power to call for any information necessary, and to conduct inspections for the purpose of determining an applicant's eligibility with the conditions of recognition.

(4) If the Council proposes to recognize an applicant, it shall enter into an agreement granting recognition with the applicant.

(5) A recognition, —

(a) shall take effect from a date as may be specified by the Council; and

(b) is subject to the recognized body's compliance with the agreement granting recognition, and all guidelines that form part of the agreement.

(6) All agreements granting recognition shall, *inter alia*, contain, —

(a) name of the person being recognized;

(b) period for which recognition is being granted by the Council;

(c) information and representations regarding eligibility provided by the recognized body;

(d) qualifications in respect of which the recognized body is allowed to use the name and logo of the Council;

(e) continuing responsibilities of the recognized body regarding the maintenance and enforcement of standards specified in the relevant guidelines;

(f) continuing responsibilities of the recognized body for the conduct of periodic inspections and audits of any of its accredited institutions or agents, as per the requirements specified in the relevant guidelines;

(g) continuing responsibilities of the recognized body to address grievances against it as per the requirements specified in the relevant guidelines;

(h) processes by which the Council shall communicate with the recognized body including routine communication, requests for information, notices of breach of the agreement, issue of directions and imposition of penalties, as specified in the relevant guidelines.

(7) All requirements specified in agreements granting recognition shall be subject to this Resolution and guidelines framed under it.

(8) The Council shall frame guidelines regarding the process for granting any other approvals which may be required to grant in order to discharge its functions under this Resolution.

26. Process for surrender of recognition.—(1) A recognized body shall give notice to the Council that it wishes to cease to be recognized by it.

(2) A recognized awarding body or recognized assessment agency shall give notice regarding its intent to surrender recognition with respect to one or more qualifications or skills.

(3) The contents of a notice of surrender and the manner of communication of the notice shall be specified in guidelines to be framed by the Council.

(4) In considering the notice received from a recognized body under this paragraph, the Council shall take into account the need to avoid prejudice to consumers of the recognized body.

(5) The Council shall issue an order to the recognized body communicating its acceptance of the request for surrender, any actions the recognized body is required to take for the protection of consumer of such services prior to the effective date of surrender, and the date on which the agreement granting recognition to the recognized body shall stand terminated, and such body shall cease to be a recognized body from such date.

27. Process for issuing notices.—(1) Any notice, including a show-cause notice shall be issued as per the terms of the agreement pursuant to which recognition has been granted to the recipient of such notice.

(2) The Council shall frame guidelines regarding the issuance of notices, and such guidelines shall form a part of the agreement granting recognition.

(3) All notices issued by the Council shall, —

(a) be in writing;

(b) state the action of the recognized body that is or may be in violation of the agreement granting recognition;

(c) state any action that the Council proposes to take;

(d) describe the consequences of the proposed action;

(e) state any material that exists in support of the show cause notice;

(f) provide the time limit within which such notice shall be replied to; and

(g) provide the manner of replying to the notice, including whether replies are sought in person or through written representations or both.

(4) The Council shall keep the contents of all notices confidential until the subject of the notice has been satisfactorily resolved or closed.

28. Process for issuing orders.—(1) The Council shall issue orders as per the terms of the agreement pursuant to which recognition has been granted to the recipient of such notice.

(2) The Council shall frame guidelines regarding the issuance of orders, and such guidelines shall form a part of the agreement granting recognition.

(3) The Council may issue orders, –

(a) requiring recognized bodies to cease or desist from conducting one or more activities that violate the agreement of recognition;

(b) requiring recognized bodies to ask their respective agents, employees or accredited institutions to cease or desist from conducting one or more activities that violate the agreement of recognition;

(c) requiring recognized bodies to provide redress to their respective consumers, in accordance with the guidelines on grievance redress; and

(d) taking actions referred to in paragraph 24.

(4) If the Council proposes to impose a monetary penalty or payment of compensation to trainees or consumer of such services, it shall consider the following factors while deciding on the quantum of penalty or compensation, namely: —

(a) injury (injury includes financial or other injury) to trainees caused due to the violation;

(b) injury to other regulated bodies caused due to the violation;

(c) potential for further injury to trainees and regulated entities;

(d) whether the violation is of a repeated nature; and

(e) overall effect on the credibility of the regulated market.

(5) All orders issued by the Council shall, —

(a) be in writing;

(b) state the reasons for the order;

(c) state the material relied upon in making the order; and

(d) the right of the recognized body to have the order reviewed.

(6) All orders shall be signed by the Member of the Council designated to perform such function by the Council.

(7) The Council shall publish all orders, except orders giving private warnings to recognized bodies.

29. Process for conducting inspections and audits.— (1) The Council may inspect or cause to be inspected by any appropriate authority, a recognized body in order to ensure its compliance with the agreement pursuant to which recognition has been granted.

(2) The Council shall frame guidelines with respect to the process for conducting inspections, communications and notices regarding inspections that shall be sent to the recognized body, the format of inspection reports, and the manner in which the recognized body may be required to take corrective action.

(3) The guidelines framed under this paragraph shall form a part of the agreement pursuant to which recognition is granted.

(4) The guidelines shall provide details of,—

(a) notices of inspections to recognized bodies;

(b) the method by which inspections shall be conducted, and the rights and obligations of the inspector and the recognized body;

(c) the manner in which the findings of the inspection shall be shared with the recognized body; and

(d) steps the recognized body shall take in order to co-operate fully with the inspection.

(5) The Council may, through guidelines framed under this paragraph,—

(a) state the manner in which it may engage an independent firm to conduct inspections or audits of recognized bodies;

(b) state the manner in which it may require a recognized body to have its functions inspected or audited by an independent firm; and

(c) state the circumstances in which it may require a recognized awarding body to inspect training bodies accredited with it.

30. Process for disseminating information.—(1) The Council shall frame guidelines regarding information which shall be made available to the public and the manner in which it will do so.

(2) The Council may from time to time publish its analysis of different aspects of the functioning of the vocational education sector, and may commission research with regard to the same.

(3) All research commissioned under this paragraph shall be published by the Council.

(4) The Council shall make best efforts to make information published by it accessible, including through publication in different platforms and languages.

(5) Guidelines framed under this paragraph may require recognized bodies to provide information necessary for the Council to discharge this function.

CHAPTER IV

THE GENERAL BODY AND ADVISORY COMMITTEES

31. Constitution and role of General Body.—(1) There shall be constituted a General Body to advise the Council in the discharge of its functions.

(2) The General Body shall consist of the following members, namely: —

(a) Minister of Skill Development and Entrepreneurship, as *ex officio* Chairperson;

(b) representatives from Ministry of Human Resource Development, Ministry of Labour and Employment, and Ministry of Skill Development & Entrepreneurship;

(c) representatives of five State Governments, to serve on rotational basis, with new States to be represented every three years; and

(d) two representatives from industrial sector to be nominated by the Central Government on rotation basis for not more than three years.

(3) The General Body shall hold at least two meetings in a year.

(4) Any advice given by the General Body shall be considered by the Council in its next meeting held after the meeting of the General Body in which the advice was given.

32. Constitution and function of Advisory Committees.—(1) The Council may constitute Advisory Committees if it is expedient for the discharge of its functions, to set up such Advisory Committees.

(2) Each Advisory Committee shall comprise experts on the issues for which the Advisory Committee has been constituted.

(3) No expert of an Advisory Committee shall serve for a period of more than ten years on that Advisory Committee.

(4) The Advisory Committees shall function in accordance with procedures that may be laid down by the Council by bye-laws.

CHAPTER V

FUNCTIONS OF RECOGNIZED BODIES

33. Functions of recognized awarding bodies.—(1) A recognized awarding body shall,—

(a) comply with the conditions of recognition with respect to all qualifications or skills, including for training of trainers with respect to which it has been recognized, at all times;

(b) accredit one or more training bodies for imparting vocational training including apprenticeship training or recognition of prior learning, in accordance with the agreement for recognition;

(c) award certification to trainees who have been trained in an accredited training body, and examined with respect to an affiliated qualification or skill by a recognized assessment agency;

(d) monitor the functioning of training bodies as per the conditions of accreditation and the agreement for recognition;

(e) cancel the accreditation of training bodies in cases of violation of the conditions of accreditation, in the manner stated in the agreement granting recognition;

(f) keep all personal information of trainees confidential and require accredited training bodies to do the same, subject to the agreement granting recognition;

(g) set up a system of redressing grievances as per the agreement granting recognition;

(h) co-operate with the Council in any inspection, investigation or audit of its activities; and

(i) submit such information to skill related information providers as required under the agreement granting recognition.

(2) A recognized awarding body may, —

(a) charge fees in respect of services provided by it;

(b) develop curriculum with respect to qualifications or skills in respect of which it is recognized;

(c) be recognized as an assessment agency, subject to guidelines framed by the Council;

(d) disseminate information regarding its activities to the general public; and

(e) create and submit qualification packages to the Council for approval.

(3) A recognized awarding body shall not,—

(a) use the brand or the logo of the Council in a manner not permitted by the agreement granting recognition, including in regard to any unrecognized qualification or skill;

(b) represent to any person or group of persons that it is recognized with respect to a qualification or skill, if recognition for such qualification or skill has not been granted to it; and

(c) impede or refuse to co-operate in any inspection or investigation undertaken by the Council.

(4) The Council shall incorporate any guidelines as per this paragraph into the agreement granting recognition.

34. Functions of recognized assessment agencies. —(1) A recognized assessment agency shall,—

(a) comply with the conditions of recognition with respect to all qualifications or skills with respect to which it has been recognized, at all times;

(b) conduct assessments for a qualification or skill, as per the requirements specified in the agreement granting recognition with respect to the assessment of such qualification or skill; record the results of the assessment accurately, and communicate it to recognized bodies in the manner stated in the agreement granting recognition;

(c) issue an acknowledgement of having conducted the assessment to a trainee after completing his or her assessment with respect to a qualification or skill;

(d) develop methods, frameworks and tools for assessing a qualification or skill;

(e) keep all personal information of trainees confidential, subject to the agreement granting recognition;

(f) set up a system of redressing grievances as per the agreement granting recognition;

(g) co-operate with the Council in any inspection, investigation or audit of its activities; and

(h) submit such information to skill related information providers as required under the agreement granting recognition.

(2) A recognized assessment agency may, —

(a) charge fees in respect of services provided by it;

(b) also be recognized as an awarding body, subject to guidelines framed by the Council; and

(c) disseminate information regarding its activities to the general public.

(3) A recognized assessment agency shall not—

(a) use the brand or the logo of the Council in a manner not permitted by the agreement granting recognition, including in regard to any unrecognized qualification or skill;

(b) refuse to share the results of an assessment with the awarding body and trainee unless such refusal is made under a clause in the agreement granting recognition that permits it to do so;

(c) disclose the contents of an assessment to be conducted by it, except as stated in the agreement granting recognition;

(d) represent to any person or group of persons that it is recognized with respect to a qualification or skill, if recognition for such qualification or skill has not been granted to it; and

(e) impede or refuse to co-operate in any inspection or investigation undertaken by the Council.

(4) The Council shall incorporate any guidelines as per this paragraph into the agreement granting recognition.

35. Functions of Skills University. —(1) A Skills University shall, —

(a) comply with any conditions of recognition of awarding bodies and assessment agencies applicable to Skills University;

(b) provide training only for such qualifications for which it has obtained the necessary approvals from the Council;

(c) develop and maintain the necessary infrastructure for providing training in the qualifications or skills in respect of which it has been recognized;

(d) hire and maintain teaching personnel required to impart training in respect of the qualifications or skills in respect of which it is recognized;

(e) comply with the conditions of recognition as per guidelines framed by the Council with regard to research and developmental functions of Skills University;

(f) regularly monitor the performance of agents, training bodies, and other persons that perform any functions on behalf of Skills Universities as per conditions specified in guidelines;

(g) maintain the confidentiality of personal information of trainees as per requirements specified in guidelines;

(h) set up a system of redressing grievances as per the agreement granting recognition;

(i) co-operate with the Council in any inspection, investigation or audit of its activities; and

(j) submit such information to skill related information providers as required under the agreement granting recognition.

(2) A Skills University may,—

(a) charge fees in respect of services provided by it;

(b) develop curriculum with respect to qualifications or skills in respect of which it is recognized;

(c) disseminate information regarding its activities to the general public; and

(d) create and submit qualification packages to the Council for approval.

(3) A recognized Skills University shall not, —

(a) use the brand or the logo of the Council in a manner not permitted by the agreement granting recognition, including in regard to any unrecognized qualification or skill;

(b) represent to any person or group of persons that it is recognized with respect to a qualification or skill, if recognition for such qualification or skill has not been granted to it; and

(c) impede or refuse to co-operate in any inspection or investigation undertaken by the Council.

(4) The Council shall incorporate any guidelines as per this paragraph into the agreement granting recognition.

36. Functions of recognized skill related information providers. —(1) A recognized skill related information provider shall, –

(a) maintain recognition with the Council at all times;

(b) collect and publish information regarding recognized bodies, training bodies and trainees on a publicly accessible electronic platform;

(c) enter into agreements with recognized bodies for the collection and sharing of information;

(d) create systems for the authentication and authorization of persons who submit or publish information on the publicly accessible electronic platform;

(e) create systems by which consumer of the services can report errors or mistakes in the information published by it;

(f) set up a system of redressing grievances as per the agreement for recognition;

(g) clearly indicate any information that it collects from a source other than a recognized body; and

(h) co-operate with the Council in any inspection, investigation or audit of its activities.

(2) A recognized skill related information provider may,—

(a) charge fees from consumer of the services in respect of services provided by it; and

(b) disseminate information regarding its activities to the general public.

(3) A recognized skill related information provider shall not,—

(a) publish information that a recognized body is otherwise required to keep confidential, unless the agreement for recognition permits it to do so;

(b) use the brand or the logo of the Council in a manner not permitted by the agreement granting recognition; and

(c) impede or refuse to co-operate in any inspection or investigation undertaken by the Council.

(4) The Council shall incorporate any guidelines as per this paragraph into the agreement granting recognition.

CHAPTER VI

FUND

37. Fund of the Council.— (1) There shall be formed a fund, to be called the fund of the Council to which shall be credited —

(a) all grants made to the Council by the Central Government;

(b) all fees received by the Council; and

(c) all sums received by the Council from any other sources.

(2) The fund shall be applied for meeting the expenses of —

(a) salaries, allowances and other remuneration of Members and employees of the Council;

(b) incurred by the Council for discharge of its functions; and

(c) incurred by the Council in furthering the objectives of the Council.

(3) The Council may levy fees on regulated entities for discharge of its functions.

(4) The Council shall make bye-laws relating to structure of fees to be levied and collected, and the manner of collecting such fees.

(5) In making bye-laws on fees, the Council shall, —

(a) prepare draft bye-laws considering the long-term interest of the skill development sector;

(b) publish the draft bye-laws for public comments;

(c) consider the comments received from the public, and may prepare a revised draft of bye-laws;

(d) submit the draft bye-laws to the Central Government for approval; and

(e) make suitable changes to bye-laws based on the advise, if any, received from the Central Government.

(6) The Council, in levying fees shall take into consideration one or more of the following factors, as may be relevant, namely: —

(a) the nature, scope and size of business carried out by the recognised bodies;

(b) the requirement that the levy of fees does not constrain competition;

(c) the requirement that the levy of fees is not disproportionate to the costs likely to be incurred by the Council in discharging the functions for which the fees will be levied; and

(d) the financial requirements of the Council.

38. Grants from the Central Government.— (1) The Central Government may give grants to the Council.

(2) The Council shall, —

(a) prepare an annual budget;

(b) calculate the expected shortfall in the budget after accounting for the fees it is likely to receive from recognized bodies and any other income; and

(c) submit the budget along with the demand for grant and a schedule for release of the grant to the Central Government.

(3) After considering the demand for grant from the Council, the Central Government may allocate a grant to the Council.

(4) If the amount of grant is less than the demand made by the Council, the Council may prepare a revised budget and submit a revised schedule for release of grants.

39. Accounts and audit.—(1) The Council shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Central Government in consultation with Comptroller and Auditor General of India.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or any other Government auditor in accordance with the provisions of the extant rules and any expenditure incurred by audit team in connection with such audit shall be payable by the Council to the Comptroller and Auditor-General of India or such Government Auditor.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed in connection with the audit of the accounts of the Council shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular shall have the rights to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the offices of the Council.

(4) The accounts of the Council as certified by the Government Auditor together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government along with their observations.

(5) The audit by the Government Auditor shall not include an audit of performance of the Council.

(6) The Council shall preserve such records for such period of time and in such manner as the Central Government may determine in this regard.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

40. Annual report of Council.— The Council shall prepare an annual report in such form which contains the full account of the activities of the Council during the financial year immediately preceding the financial year in which such report is prepared and send the copies of such report to the Central Government.

41. Annual report to be laid before Parliament.— The Central Government shall cause the annual report of the Council after its receipt to be laid before each House of Parliament.

42. The National Skills Qualification Committee, housed at National Skill Development Agency and the National Council for Vocational Training shall continue to perform their respective functions, under the National Council for Vocational Education and Training, for not more than 180 days, from the constitution of the Council.

43. The current office of the National Skill Development Agency with its existing manpower and sanctioned strength shall stand transferred to and form the nucleus for staffing the National Council for Vocational Education and Training.

44. This Resolution shall come into force from the date of publication in the Official Gazette. The Ministry of Labour Resolution No. TR/EP-24/56, dated 21st/24th August, 1956 and subsequent amendments hereto and Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) notification No. 14/27/2012-EC, dated 6th June, 2013, shall stand superseded, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, from the date of coming into force of this Resolution.

VINITA AGGARWAL, Senior Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.05 22:54:05 +05'30'